

किरमीला - २५/५ 28/20

दिनांक

आज्ञा पत्र

2010

उपरोक्त के आदेश पर कार्यवाही
के लिये

पत्रावली पेश। वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर
जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः
अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील
अपीलांट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे
अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है।
फलस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की
जाती है निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। प्रकरण
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद करतीब
तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर



पूरे
रजिस्ट्रार
५/१३ ३७
मार्ग